न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/61/2022 दायर दिनांक 15.06.2022

उनवान

1. रामेश्वर पिता नारीया उर्फ नारू जाति भील आयु वयस्क, निवासी लांगच, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— वादीया

बनाम

1. गंगा उर्फ मोडी पुत्री नारीया पत्नी कालुराम जाति भील आयु वयस्क निवासी लांगच हाल मुकाम बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. प्रथी उर्फ रामी पुत्री नारीया पत्नी भीमा जाति भील आयु वयस्क निवासी लांगच हाल मुकाम बनाकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 21.07.2022

—:निर्णयः—

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1,2 सिविल प्रकिया संहिता एव धारा 88—89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि यह कि ग्राम लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के सहखातेदारी कब्जे काश्त की पैतृक आराजीयात खाता सं. 322 से दर्ज आराजी सं0 278 रकबा 0.93 हैक्टर एवं आराजी सं0 279 रकबा 2.50 हैक्टर कुल किता—02 कुल रकबा 3.43 हैक्टर स्थित है।

यह कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 भाई बहीन होकर नारिया उर्फ नारू पिता रूपा जी भील की जायज सन्तान है और वादी के पिता नारिया उर्फ नारू का देहावसान बाल्यावस्था में ही हो गया वादी की माता कमली पत्नी नारिया उर्फ नारू थी जो भी फोत हो गई इस प्रकार नारिया उर्फ नारू कमली बैवा नारिया उर्फ नारू भील के जायज वारिस वादी पुत्र एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 पुत्रीयां ही है।

यह कि वादी के पिता नारिया उर्फ नारू की मृत्यु पर वारिसाना इन्तकाल कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों ने की जिन्होने पुख्ता जांच न कर वादी जो उस समय नाबालिग बाल्यावस्था में था को तथ्यो को न जानकर वादी की माता कमली व प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहीनो को ही वारिस बना उक्त आराजीयात उनके नाम दर्ज कर दी फिर माँ की मृत्यु होने पर दोनो बहीनो प्रतिवादी सं0 1 व 2 वादी की बहीनों के नाम इन्द्राज खिलाफ कानून बिना जांच रखा जबकि वादी मृतक नारिया उर्फ नारू पिता रूपा भील का जायज पुत्र होकर उक्त आराजीयात का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का भी उक्त आराजीयात में 1/3–1/3 हक हिस्सा है और कागजात माल रेकार्ड गलत है, इसी अनुसार काबिल दुरूस्ती योग्य है। इस आशय की स्थाई घोषणा की घोषणा के लिए वादी प्रार्थना करता है। वजह सबुत जमाबन्दी आराजीयात जेरबहस हाल, साबीक, वादी का मतदान पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रतिलिपि वाद के साथ सलंग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:29 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादी सं0 1 वादी की बहीन गंगा जिसका उप–नाम मोडी है, और प्रतिवादी सं0 2 प्रथी जिसका उपनाम रामी है। दोनो बहनो के उप–नाम बचपन के है शादी के बाद अपने अपने ससुराल बनाकिया कला चली गई और नाम बदल दिये गये जिससे प्रतिवादी सं0 1 मोडी का नाम सही दस्तावेजी नाम गंगा पत्नी कालुराम भील निवासी बनाकिया कला है, और रामी के बजाय प्रतिवादी सं0 2 का नाम प्रथी पिता नारिया उर्फ नारू पत्नी भीमा भील निवासी बनाकिया कला है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड मे भी इसी अनुसार नाम अंकन होना चाहिये।

यह कि वर्तमान में आराजीयात जैरबहस प्रतिवादी सं0 1 व 2 के ही खाते दर्ज है। वादी का हक इन्द्राज नही है। कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 शामील है और विवाद नही है, परन्तु प्रतिवादी सं0 1 व 2 अनपढ बहीने है जिनका वादी भाई का हक आराजीयात जैरबहस में हिस्सा 1/3 होने की सहमति है, परन्तु वादी को अन्देशा है कि वाद कार्यवाही होकर हक वादी तय होने के बीच आराजीयात जैर बहस रहन, बह, खुर्द–बुर्द न कर दे इसलिये खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना जरूरी है जिससे वादी को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

यह कि वादी अनपढ़ है, रेवेन्यू रेकार्ड आराजीयात जैरबहस का ज्ञान न था। प्रधानमन्त्री कृषक अनुदान योजना के लिये दिनांक–01–04–2022 को आराजीयात जैरबहस रेवेन्यू रेकार्ड से जाहीर आया की वादी के नाम इन्द्राज नही है। जिस पर समस्त दस्तावेज प्राप्त किये राय मशवरा किया प्रतिवादी सं. 1 व 2 बहीनो से मिला जिन्होने सहमति दी परन्तु कानून कार्यवाही वाद के जरिये हक तय करने की राय सलाहकार ने दी जिससे उपरांकित अनुसार बिनाय दावा पैदा होकर निरन्तर बनी हुई है।

यह कि प्रतिवादी सं0 3 राजकीय सेवक है रेवेन्यू रेकार्ड यथास्थिति के अधिकारी है मामला उपरांकित अनुसार आवश्यक प्रकृति का तत्काल दावा नहीं करने से वादी को नुकसान होने की पुरी सम्भावना है। इसलिये दावा दायरी ईजाजत दफा 80 (2) जा0दी0 के तहत ईजाजत वास्ते प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम लांगच तहसील कपासन की वाद कॉलम 1 उल्लेखित खातेदारी सं0 322 की आराजी सं. 278 रकबा 0.93 हैक्टर, आ0स0 279 रकबा 2.50 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.43 हैक्टर 1/3 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है, व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक का उक्त आराजीयात में 1/3–1/3 हक हिस्सा है, इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्त फरमावे व हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 का नाम मोडी के बजाय गंगा प्रतिवादी सं0 2 रामी के बजाय प्रथी पुत्री नारिया भील दुरूस्त दस्तावेजी प्रचलित नाम अंकन फरमावे। तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादर फरमावे कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 आराजीयात जैरबहस को रहन, बह व खुर्द–बुर्द न करे व प्रतिवादी सं0 3 मौजूदा रेवेन्यू रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखावे व किसी प्रकार का फैर–बदल ना करे ऐसा न प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अन्य से करावे। हर्जा–खर्चा व अन्य मुफिद दाद वादी हो वह सादर दिलावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। आज दिनांक 21.07.2022 को वकील वादी तथा वादी [illegible] प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र वैष्णव का अधिकार पत्र प्रस्तुत [illegible] स्वीकार करने व राजीनामे से वाद डिक्री फरमाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया [illegible] जो शा0 फा0 रहे व निवेदन किया गया कि उक्त वाद का वादी रामेश्वर पिता नारिया उर्फ नारू भील हम प्रतिवादीगण गंगा उर्फ मोडी और परती उर्फ रामी पिता नारिया उर्फ नारू निवासी लांगच का सगा भाई होकर नारू

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:29 IST
Reason: Self Attested

भील की संतान है रामेश्वर पिता नारू की मृत्यु के वक्त बहुत छोटा था जिसका नाम रेकार्ड में दर्ज होने से रह गया वाद उल्लेखित ग्राम लांगच की हमारे पिता नारू जी की पैतृक आराजीयात आराजी संख्या 278 रकबा 0.93 है0 व आराजी सख्या 279 रकबा 2.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.43 है0 में वादी भाई रामेश्वर का 1/3 व बहन गंगा उर्फ मोडी का 1/3 व बहन परती उर्फ रामी का 1/3 हक हिस्सा कब्जा है। हमारे साथ हमारा भाई वादी वाद उल्लेखित आराजीयात का 1/3 हिस्से का खातेदार है जिसका नाम राजस्व रेकार्ड अंकित किया जावे व वाद स्वीकार किया जावे जिसमें हमारी तीनों की आपसी सहमती है व हमारा राजीनामा है। वादी का 1/3 हिस्से की खातेदारी अंकन के साथ मुझ प्रतिवादी सं0 1 का नाम मोडी पुत्री नारिया व प्रतिवादी सं0 2 का नाम रामी पुत्री नारिया दर्ज है जो हमारे बचपन के नाम है हमारे दस्तावेजी नाम मुझ प्रतिवादी सं0 1 का गंगा पुत्री नारिया पत्नी कालुराम व मुझ प्रतिवादी सं0 2 का नाम परती बाई पुत्री नारिया पत्नी भीमा भील निवासीयान बनाकियाकलां है जो दस्तावेजी नाम रेवेन्यू रेकार्ड में अंकित किया जाना फरमावे।

हमने राजीनामे की इबारत पढकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सुनाई। सुन समझ कर हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच ने की व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पहचान अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र वैष्णव ने की। अतः हस्ताक्षर करने से राजीनामा स्वीकार किया जाता है व बाद तस्दीक शामिल पत्रावली रहे। सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र व राजीनामे व ग्राम पंचायत लांगच का जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन किया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजो व राजीनामे के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के हाल खाता संख्या 322 के आराजी संख्या 278 रकबा 0.93 है0 व आराजी संख्या 279 रकबा 2.50 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.43 है0 में रामेश्वर पिता नारीया उर्फ नारू जाति भील हिस्सा 1/3, गंगा उर्फ मोडी पुत्री नारीया जाति भील हिस्सा 1/3, परती बाई उर्फ रामी पुत्री नारीया जाति भील हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:29 IST
Reason: SelfAttested